वलिफुल डफिॉल्टर टैग के बनिा बजिली कंपनयिाँ NCLT में शामलि नहीं होंगी

संदर्भ

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरि्णीत कयिा है कि एक बजिली कंपनी को ऋण चुकाने के लयि तब तक दविालयिापन अदालत (bankruptcy court) में नहीं ले जाया जा सकता है जब तक कि उसे वलिफुल डफिाल्टर घोषति नहीं कयिा जाता है| न्यायालय ने वति्त सचवि को जून में बजिली उत्पादकों से मलिकर उनसे बातचीत करने के नरि्देश दयि हैं ताकि वे वति्तीय संकटों पर चर्चा कर सकें।

महत्त्वपूर्ण बदिु

- यह नरि्णय रज़िर्व बैंक ऑफ इंडयिा (RBI) के फरवरी के नरि्देश के अनुपालन के क्रम में दयिा गया है जो कि ऋणदाताओं को व्यतक्रिम के लयि 180 दनिों के भीतर संकटग्रस्त ऋणों के समाधान के लयि कहता है, जसिमें वफिल होने पर कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रबि्यूनल (NCLT) को संदर्भति कयिा जाना था।
- यह बजिली क्षेत्र की कंपनयिों सहति सभी क्षेत्रों के लयि 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋणों पर लागू था जो बजिली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता, सरकारी मंज़ूरी में देरी और कोयले की अनुपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण पीड़ति थे।
- एक वलिफुल डफिॉल्टर वह होता है जसिके पास ऋण चुकाने की सामर्थ्य होती है फरि भी वह जानबूझकर ऋण नहीं चुकाना चाहता|
- एसएमए -1 या एसएमए -2 श्रेणी में 12 लाख करोड़ रुपए से अधकि बकाया वाली कंपनयिों को वर्गीकृत कयिा गया है जसिका मतलब है कि उन्होंने देय तथि 30 से 60 दनिों के भीतर अपनी मासकि कस्तिों का भुगतान नहीं कयिा है|
- एसएमए का तात्पर्य वशिेष उल्लेख खाते से है। अदालत के फैसले से बैंकों को संकटग्रस्त खातों के लयि समाधान खोजने को अधकि समय मलिेगा।

स्थायी समति की रपिोर्ट

- आरबीआई सर्कुलर ने 1 मार्च को 180 दनिों की अवधि के लयि संदर्भ तथि के रूप में नरि्धारति कयिा था और इस प्रकार दविालयिापन अदालत के बाहर तनावग्रस्त खातों को हल करने के लयि बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय था।
- साथ ही, भारत की स्थापति बजिली उत्पादन क्षमता का लगभग 22% पहले ही गैर-नष्पिादति संपत्ति के रूप में गनिा जाता है।
- आरबीआई के आँकड़ों के मुताबकि अप्रैल में बजिली क्षेत्र में भारत के बैंकों का अनाश्रयता 5.19 लाख करोड़ रुपए थी।
- इंडयिन पावर प्रोड्यूसर एसोसएिशन ऑफ इंडयिा द्वारा दायर याचकिा के जवाब में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दयिा।
- अदालत ने वति्त सचवि से बजिली उत्पादकों की 'शकियत पर वचिार' करने के लयि कहा और यह भी कहा कि समस्या का कोई समाधान संभव है या नहीं, इसपर वचिार कयिा जाए|
- खंडपीठ ने तनावग्रस्त ऋण के संबंध में मार्च 2018 में प्रस्तुत ऊर्जा पर स्थायी समति की 37वीं रपिोर्ट में कयि गए एक अवलोकन को भी संदर्भति कयिा।

बैठक को रोक दयिा जाना

- एसोसएिशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के अनुसार, नए आरबीआई मानदंडों के कारण 70,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को ऋणशोधन के खतरे का सामना करना पड़ता है।
- हाल ही में बजिली क्षेत्र में तनावग्रस्त ऋण को हल करने के तरीकों को खोजने के लयि बजिली मंत्रालय, आरबीआई और उधारदाताओं की बैठकें दो बार रद्द कर दी गई हैं|
- बजिली क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लयि सरकार और नयिामकों द्वारा कयि गए उपायों में 8-12 महीने लग सकते हैं, अतः बैंकों द्वारा उत्पादकों को अधकि समय देने की ज़रूरत है।
- उपरोक्त उद्धृत संसदीय रपिोर्ट में कहा गया है कि बजिली क्षेत्र दबाव में है।
- हज़ारों मेगावाट वाले संयंत्र गंभीर वति्तीय तनाव में हैं और वर्तमान में एसएमए-1 या 2 चरण या एनपीए बनने के कगार पर हैं|
- यह ईंधन की कमी, सब-ऑप्टीमल लोडगि, अप्रत्याशति क्षमताओं, FSA की अनुपस्थति और PPA की कमी आदि के कारण है।
- इन परयिोजनाओं को राष्ट्रीय ज़रूरतों और बजिली की मांग के साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर शुरू कयिा गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/power-cos-without-willful-defaulter-tag-can-be-taken-to-nclt-rules-hc